

(2013) 2 एस. सी. आर 849

मेसर्स टाटा स्काई लिमिटेड

बनाम

एम. पी. राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं. 3882/2013 आदि)

16 अप्रैल, 2013

(आफताब आलम और आर. एम. लोढा, जे. जे.)

मध्य प्रदेश मनोरंजन कर्तव्य और विज्ञापन कर अधिनियम, 1936:

धाराएँ 2(ए); 2(बी), 2(डी)(iv), 3 और 4- 5.5 2008 से 01.04.2011 की अवधि के लिये डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) मनोरंजन सेवा पर मनोरंजन शुल्क लगाना। अभिनिर्धारित:- डी.टी.एच. एस एस 2(ए) 2(बी) ओर 2 (डी) सपठित धारा 3 के प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आता है। इसके अलावा, न तो धारा 4(1) के प्रावधान और न ही धारा 4(2) के तहत किये गये प्रावधान के अनुसार कोई भी तरीका डी ची एच पर शुल्क के संग्रह के लिये लागू किया जा सकता है। इसलिए, 1936 के अधिनियम को अपीलार्थियों द्वारा किये गये डी. टी. एच. परिचालन तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य-भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885-एस। 4 - भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1933-मध्य प्रदेश प्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर नियम 1942.

प्रशासनिक कानून:

प्रत्यायोजित विधान-अधिसूचना अधिसूचना-अभिनिर्धारित अधिसूचना अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकता है - हस्तगत मामले में क्योंकि 1936 के अधिनियम तहत डी. टी. एच. संचालन पर दिनांक 5-5-2008 की अधिसूचना जारी करने से पूर्व कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद उक्त अधिनियम के तहत शुल्क लगाया जा सकता है - मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम, 1936।

5 मई 2008 को मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश, ने धारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 ने 20: मनोरंजन कर निर्धारित करते हुए सिनेमा, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर और केबल सर्विस के अलावा मनोरंजन के सभी प्रवेशों के भुगतान पर कर लगाते हुए एक गजट अधिसूचना जारी की। परिणामतः 10 जून, 2009 को उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को डायरेक्ट टू हॉम मनोरंजन सेवा पर मनोरंजन कर की मांग करते हुये एक मांग नोटिस जारी किया गया था। परिणामस्वरूप, कई नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा 1936 के अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत मनोरंजन कर की मांग व संग्रहण को चुनौती देते हुये एक रिट याचिका पेश की। अपीलार्थी का यह केस था कि उसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम

1885 व भारतीय टेलीग्राफी एक्ट 1933 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 24.03.2006 को एक लाईसेन्ट डी0 टी0 एच प्लेटफार्म संधारित व संचालन हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिये लाईसेन्स एग्रीमेन्ट में उल्लेखित नियमों और शर्तों के अधीन प्रदान किया गया था। रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई।

हस्तगत अपीलों में, न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारणीय है कि “क्या 1936 के अधिनियम के प्रावधानों के आवश्यक विस्तार में डीटीएच को समाहित करते हुये “मनोरंजन“ कर लगाया जा सकता है। और “क्या अधिसूचना दिनांकित 5 मई 2008 के अन्तर्गत 1936 के अधिनियम का दायरा कर लगाने के सम्बन्ध में बढ़ाया जा सकता है।”

अपील स्वीकारते हुये, न्यायालय द्वारा-

अभिनिर्धारित किया: 1.1. सम्पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 की सावधानीपूर्वक जांच पर, और विशेष रूप से, खण्ड (ए) “(मनोरंजन में प्रवेश)” (बी) “(मनोरंजन)” के संयुक्त पढ़ने पर और (डी) धारा 2 के “(प्रवेश का भुगतान)” धारा 3 के साथ-साथ धारा 3 चार्ज बनाना और धारा 4 संग्रह मशीनरी प्रदान करती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि 1936 अधिनियम के प्रावधान केवल उस स्थान पर लागू होते हैं - संबंधित मनोरंजन और एक मनोरंजन को कवर करता है जो एक निर्दिष्ट भौतिक स्थान पर होता है जहां व्यक्तियों को धारा 2 के

खंड (डी) के तहत परिभाषित कुछ शुल्क के भुगतान पर प्रवेश दिया जाता है। विधायी इतिहास और 1936 अधिनियम में पेश किए गए संशोधनों से यह भी पता चलता है कि 1936 अधिनियम की योजना को राज्य द्वारा इसी तरह देखा गया था। 1936 अधिनियम के प्रावधान वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या वीडियो कैसेट और प्लेयर केबल टीवी संचालन द्वारा शो को कर के दायरे में लाने के लिए अपर्याप्त थे और इसलिए, एस.एस. 3-ए और एस. 3-बी क्रमशः 1 मई, 1999 और 1 अप्रैल, 2001 से सम्मिलित किए गए थे। इस संबंध में, यह ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या वीडियो कैसेट और प्लेयर, केबल टीवी संचालन द्वारा शो के मामले में दोनों, संग्रह मशीनरी धारा 3-ए और धारा के संबंधित प्रावधानों के भीतर अंतर्निहित और प्रदान की गई है। 3-बी. और उन दो मामलों में शुल्क का संग्रहण 1936 के अधिनियम की धारा 4 के तहत नहीं होता है। (पैरा 35) (866-एफ-एच; 867-ए-सी)

1.2. धारा 2 के खंड (डी) के उप-खंड (पअ) पर राज्य की ओर से लगाई गई निर्भरता एक से अधिक कारणों से अस्थिर है: पहला, धारा 2(डी)(iv) केवल कर का माप है और यह वह शुल्क नहीं बनाता है जो धारा 3 द्वारा बनाया गया है। कर के माप पर जाने का प्रश्न तभी उठेगा जब यह पाया जाएगा कि कर का प्रभार आकर्षित है। धारा 3 सपठित धारा 2(डी) और धारा 2(ए), कर का शुल्क या लेवी केवल तभी आकर्षित होती है जब कोई मनोरंजन किसी निर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर होता है और

व्यक्तियों को मनोरंजन प्रदान करने वाले मालिक को शुल्क का भुगतान करने पर उस स्थान पर प्रवेश दिया जाता है। तत्काल मामले में, चूंकि डीटीएच संचालन स्थान-संबंधित मनोरंजन नहीं है, इसलिए 1936 के अधिनियम की धारा 3 सपठित 2(ए) और 2(बी) के अन्तर्गत चार्ज नहीं लगाया जा सकता है। नतीजतन, धारा 2(डी)(iv) में जाने का प्रश्न नहीं उठता। इसके अलावा, भले ही धारा 2(डी)(iv) को धारा 3 के विस्तार के रूप में पढ़ा जावे। और इस प्रकार, भार के अंश के रूप में, यह कोई फर्क नहीं बनाता है। क्योंकि धारा 2(डी)(पअ) "मनोरंजन "को संदर्भित करता है जो धारा 2(बी) से संबंधित है। और अंत में धारा 2(ए) से। इस प्रकार, डीटीएच 1936 के अधिनियम की धारा 3 सपठित धारा 2(ए) से, 2(बी) और 2(डी) के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता है। (पैरा 36-38) (867-सी-ई-एच; 868-ए-बी)

1.3. 1936 के अधिनियम की धारा 4 जिसके तहत प्रदान किए गए शुल्क के संग्रह की व्यवस्था के लिए बनाये गये रेफरेन्स के मुद्दे पर यह बिन्दू और सुलझ गया। धारा 4(1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, वी.सी.आर. द्वारा प्रभावित, उभरे हुए, उत्कीर्ण या चिपकने वाले मुद्रांकित टिकट को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा नाममात्र मूल्य के बराबर कर, जो कि धारा 4 की उप धारा 2 में उपबन्धित, विभिन्न भुगतान की विभिन्न विनिर्दिष्ट प्रारूप, मनोरंजन कर के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं। न केवल धारा 4(1) के उपबन्ध व धारा 4(2) के तरीके

भी डी टी एच संचालन पर कर संग्रहण के लिये लागू नहीं किये जा सकते। आगे मध्यप्रदेश मनोरंजन कर व विज्ञापन कर नियम 1942 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 1936 के अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया कर संग्रहण का तरीका किसी मनोरंजन के स्थान, जहां पर मनोरंजन होता हो, पर प्रवेश के लिये उसके मालिक द्वारा जारी की गई टिकट पर राजस्व टिकट चस्पा करने पर आधारित है। 1936 के अधिनियम के अन्तर्गत कर संग्रहण की मशीनरी का डी टी एच के मामले में कोई उपयोग नहीं होता है। यह सुस्थापित है कि अधिनियम के अन्तर्गत संग्रहण की मशीनरी किसी इवेंट पर लागू नहीं किया जा सकता है, यह उस इवेंट का अनुसरण करता है जो कर निर्धारण कानून द्वारा बनाये गये शुल्क अधिनियम से परे है। (पैरा 38-39) (868-बी-जी)

आयकर आयुक्त बनाम बी.सी. श्रीनिवास सेट्टी 1981 (2) एससीआर 938 = (1981) 2 एससीसी 460, आयकर आयुक्त, एर्नाकुलम, केरल बनाम आधिकारिक परिसमापक, पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड 1985 (1) एससीआर 971 = (1985) 1 एससीसी 45; पीएनबी फाइनेंस लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त प, नई दिल्ली 2008 (15) एससीआर 556 = (2008) 13 एससीसी 94 - पर आधारित।

1.5. इस प्रकार, 1936 अधिनियम को अपीलकर्ताओं द्वारा किए जा रहे डीटीएच संचालन तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। (पैरा 40) (869-ए)

2. जहां तक अधिसूचना दिनांक 5-5-2008 का संबंध है, यह प्राथमिक है कि अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग में जारी अधिसूचना अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकती है। इसके अलावा, अधिसूचना में सिनेमा, वीडियो कॅसेट रिकॉर्डर और केबल सेवा के अलावा किसी अन्य मनोरंजन में प्रवेश के लिए प्रत्येक भुगतान के संबंध में मनोरंजन शुल्क की दर केवल 20: निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 4 सपठित 1942 के नियमों के अन्तर्गत अधिसूचना न तो चार्जिंग अनुभाग का विस्तार कर सकती है और न ही धारा के तहत संग्रह के प्रावधान में संशोधन कर सकती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिसूचना किसी भी तरह से राज्य के मामले में सुधार नहीं करती है। यदि 5 मई, 2008 की अधिसूचना जारी होने से पहले 1936 अधिनियम के तहत डीटीएच संचालन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता था, तो अधिसूचना जारी होने के बाद उक्त अधिनियम के तहत शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। (पैरा 41) (869-बी-डी)

केस कानून संदर्भ

1981 (2) एससीआर 938	पर भरोसा किया गया	पैरा 39
1985 (1) एससीआर 971	पर भरोसा किया गया	पैरा 39
2008 (15) एससीआर 556	पर भरोसा किया गया	पैरा 39

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: की सिविल अपील संख्या 3882/2013

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 10148/2009 में निर्णय और आदेश दिनांक 20.08.2010 से उत्पन्न।

साथ में

सी.ए. संख्या 3888, 3889, 3890, 3891 – 3892/2013

विवेक तनखा ए.एस.जी., एस गणेश, गोपाल सुब्रमण्यम, ए.दुष्यंत दवे, डी.के. सिंह, प्रदीप शुक्ला, सर्वेश सिंह बघेल, अभिजीत सेनगुप्ता, अनिरुद्ध पी. मायी, चारुदत्त महिंद्राकर, जी. उमापति (राकेश के. शर्मा के लिए), पंकज भगत, डॉ. सुशील बलवाड़ा, विवेक सरीन, सुरभि मेहता, विभा दत्ता मखीजा, अनिरुद्ध देशमुख, यशवर्धन राँय,बी ऋषभ संचेती, वरुण चोपड़ा, सुमीर सोढ़ी, बी.एस. बांठिया उपस्थित पक्षकारान के लिये।

न्यायालय का निर्णय आफताब आलम, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया।

1. सभी याचिकाओं में विशेष अनुमति प्रदान की गई।

2. ये सभी अपीलें मनोरंजन की मांग से संबंधित हैं के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया कर मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर डीटीएच पर अधिनियम, 1936 (इसके बाद “1936 अधिनियम” कहा जाएगा) (सीधे घर पर) अपीलकर्ताओं द्वारा अपने संबंधित

ग्राहकों को सदस्यता के भुगतान पर प्रसारण प्रदान किया गया। सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके राज्य सरकार की मांग को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त, 2010 के फैसले और आदेश द्वारा राज्य सरकार की मांग को बरकरार रखते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह निर्णय तीन रिट याचिकाओं के एक बैच में दिया गया था, जिसमें 2009 की रिट याचिका संख्या 10148 शामिल थी, जो उनकी ओर से दायर की गई थी। टाटा स्काई लिमिटेड के एफ (2011 की एसएलपी (सी) संख्या 2752 से उत्पन्न अपील में अपीलकर्ता) मुख्य मामले के रूप में बाकी रिट याचिकाएं 20, अगस्त 2010 के फैसले के आधार पर खारिज कर दी गईं।

3. सुविधा के लिए, हमने भी 2010 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 27595 से उत्पन्न सिविल अपील से तथ्य लिए हैं।

4. अपीलकर्ता भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की धारा 4 के तहत भारत सरकार से प्राप्त लाइसेंस के तहत काम करता है। हालांकि, अपीलकर्ता का मामला है कि डीटीएच प्रसारण एक "सेवा" है। और यह सेवा कर प्रभार्य है। वास्तव में, जिन कई आधारों पर डीटीएच प्रसारण पर राज्य सरकार द्वारा मनोरंजन कर की मांग को अपीलकर्ता ने चुनौती दी है, उनमें से एक यह है कि डीटीएच प्रसारण वित्त अधिनियम, 1994 के तहत अधिसूचित सेवाओं में से एक है और केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर के लिए उस संबंध में, शुल्क योग्य

है। अपीलकर्ता की ओर से कहा गया है कि 1991 में भारत सरकार ने डॉ. चेलैया की अध्यक्षता में एक कर सुधार समिति नियुक्त की थी। कर सुधार समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और भारत के संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची 1 की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 के तहत वित्त अधिनियम, 1994 के माध्यम से वर्ष 1994-1995 के बजट में सेवा कर पेश किया गया। अधिनियम के तहत, प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली अधिसूचित सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है।

5. प्रसारण पर सेवा कर लगाने के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति “प्रसारण” को विशेष रूप से वित्त अधिनियम की धारा 65(15) के तहत परिभाषित किया गया है। प्रसारण सेवाओं को 16 जुलाई, 2011 से संशोधित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (zk) के तहत सेवा कर के दायरे में लाया गया था। बाद में, 16 जून, 2006 से प्रभावी कर, डीटीएच सेवा को सेवा के दायरे में लाया गया था।

6. वित्त अधिनियम की धारा 67 के तहत, कर योग्य सेवा का मूल्य सेवा के प्रावधान के लिए सेवा प्रदाता द्वारा ली गई सकल राशि है।

7. 24 मार्च 2006 को, अपीलकर्ता को 10 साल की अवधि के लिए डीटीएच प्लेटफॉर्म की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की धारा 4 के तहत भारत सरकार से लाइसेंस मिला। लाइसेंस अनुबंध में

निर्धारित नियम और शर्तें। अपीलकर्ता ने रुपये का भुगतान किया। लाइसेंस शुल्क के रूप में 10 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी गई, जो लाइसेंस की पूरी अवधि के लिए वैध रहेगी। लाइसेंस के संदर्भ में अपीलकर्ता को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक महीने के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के ऑडिटेड अकाउन्ट में दर्शाया गया है, सकल राजस्व का 10 प्रतिशत के बराबर वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा। अपीलकर्ता को लाइसेंस शुल्क के अलावा, दूरसंचार विभाग के तहत वायरलेस योजना और समन्वय प्राधिकरण (डब्ल्यूपीसी) द्वारा निर्धारित स्पेक्ट्रम उपयोग के लिए रॉयल्टी का भुगतान भी करना आवश्यक है।

8. केंद्र सरकार द्वारा दिया गया लाइसेंस पूरे भारत के लिए है और अपीलकर्ता डीटीएच प्रसारण करने के लिए किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अनुमति या कोई अन्य लाइसेंस लेने के लिए बाध्य नहीं है।

9. अगस्त 2006 में, अपीलकर्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सहित पूरे भारत में अपना परिचालन शुरू किया। अपीलकर्ता का छतरपुर, दिल्ली में एकल प्रसारण केंद्र है। यह केंद्र उपग्रह से सिग्नलों को डाउनलिक करता है और फिर उन सिग्नलों को केयू बैंड में उनके डी ट्रांसमिशन के लिए निर्दिष्ट ट्रांसपोंडर पर अपलिक करता है। ये सिग्नल ग्राहकों के परिसर में स्थापित डिश एंटीना द्वारा प्राप्त होते हैं। छतरपुर, दिल्ली स्थित प्रसारण केंद्र से प्रसारित टीवी सिग्नल एन्क्रिप्टेड प्रारूप में हैं और उन्हें सेट अप बॉक्स द्वारा डिक्रिप्ट/डिकोट किया जाता है। अपीलकर्ता द्वारा अपने ग्राहकों को

दिए गए सेट टॉप बॉक्स के अंदर सेट टॉप बॉक्स और व्यूइंग कार्ड द्वारा डिकोड किया गया। ग्राहकों को अपने टीवी सेट पर अपीलकर्ता द्वारा डीटीएच प्रसारण देखने के लिए कुछ शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

10. अपीलकर्ता अपने डीटीएच प्रसारण के लिए राज्य के किसी भी बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं करता है।

11. 5 मई 2008 को, राज्य सरकार ने 1936 अधिनियम की धारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक गजट अधिसूचना जारी की जिसमें सिनेमाघरों, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर और केबल सेवा के अलावा किसी अन्य मनोरंजन में प्रवेश के लिए किए गए प्रत्येक भुगतान के संबंध में 20 प्रतिशत मनोरंजन शुल्क तय किया गया। चूंकि उपरोक्त अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मांग का आधार बनती है, इसलिए इसे यहां पूर्ण रूप से पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी है: -

”संख्या (63) बी-5-9-2006-2-वी- शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त, राज्य सरकार ने सिनेमा, वीडियो कैसेट बी रिकॉर्डर और केबल सेवा के अलावा मनोरंजन में प्रवेश के लिए प्रत्येक भुगतान के संबंध में मनोरंजन शुल्क की दर 20 प्रतिशत निर्धारित की है।

यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेशानुसार एवं नाम
से।“

12. 5 मई 2008 की अधिसूचना के बाद, अपीलकर्ता को आबकारी
आयुक्त मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा 10 जून 2009 का एक डिमांड नोटिस
जारी किया गया था। नोटिस की सामग्री, जहां तक वर्तमान के लिए
प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

“क्र.सं.7-एंट./2009-10/173 ग्वालियर, दिनांक 10.06.2009

को,

टाटा स्काई,

.....

.....

विषय: डायरेक्ट टू होम मनोरंजन सेवा पर मनोरंजन शुल्क
लगाना।

आप मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत उपभोक्ताओं को मासिक
भुगतान के आधार पर डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) द्वारा
मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं। जबकि:

(1) मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1936 की धारा 3(1) के अंतर्गत सिनेमा हॉल, वीडियो एवं केबल को छोड़कर समस्त मासिक सदस्यता के आधार पर डीटीएच के माध्यम से पंजीकृत उपभोक्ताओं के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला मनोरंजन शामिल है। उपभोक्ताओं द्वारा उपरोक्त भुगतान में, मनोरंजन शुल्क / 20: सरकार के खजाने में अग्रिम भुगतान के लिए उत्तरदायी है।”

13. अपीलकर्ता को नोटिस में मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, अन्यथा, नोटिस में घोषित किया गया कि उसके द्वारा देय मनोरंजन कर का एक पक्षीय मूल्यांकन किया जाएगा।

14. अपीलकर्ता ने 22 जुलाई, 2009 के अपने पत्र द्वारा नोटिस का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि 1936 अधिनियम के प्रावधानों के तहत, डीटीएच प्रसारण के संबंध में कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है और ऐसी प्रविष्टि के अभाव में, अधिनियम के प्रावधान डीटीएच प्रसारण पर लागू नहीं हैं और इसलिए, नोटिस अवैध व क्षेत्राधिकार के बिना है। अपीलकर्ता ने उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाई गई इसी तरह की मांग से संबंधित एक मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक फैसले और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में इस न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया।

15. 1 अगस्त 2009 को, मध्य प्रदेश राज्य ने मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 पारित किया, संशोधन अधिनियम द्वारा, उत्पाद शुल्क आयुक्त या किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षित खातों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफलता राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किये जाने को दण्डनीय अपराध बना दिया गया। हालाँकि, संशोधन अधिनियम ने डीटीएच प्रसारण पर मनोरंजन शुल्क लगाने के संबंध में मूल अधिनियम में कोई प्रावधान पेश नहीं किया।

16. 18 अगस्त 2009 को आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ने उपायुक्त आबकारी को पत्र लिखा। फ्लाइंग स्क्वाड, ग्वालियर डिवीजन, ग्वालियर ने उन्हें बताया कि डीटीएच मनोरंजन सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त सदस्यता राशि पर 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन शुल्क देय है और डीटीएच मनोरंजन सेवा प्रदाताओं से मनोरंजन शुल्क की वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उत्पाद शुल्क आयुक्त के निर्देश का पालन करते हुए अपीलकर्ता को कई नोटिस दिए गए और 1 अक्टूबर 2009 को अपीलकर्ता कंपनी के उपाध्यक्ष (संचालन) और क्षेत्र संचालन (प्रबंधक) को 1936 अधिनियम की धारा 5(ई) के प्रावधानों की अनुपालना न करने पर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

17. 3 अक्टूबर 2009 को, अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की, जो 2009 की रिट याचिका संख्या 10148 थी, जिसमें 1936 अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन शुल्क

की मांग और संग्रह को चुनौती दी गई थी। रिट याचिका अंततः उच्च न्यायालय द्वारा 20 अगस्त, 2010 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दी गई और मामला अब इस न्यायालय में लाया गया है।

18. आगे बढ़ने से पहले, यह बताना आवश्यक है कि सभी अपीलों में विवाद 1936 अधिनियम के तहत मनोरंजन कर की मांग और वसूली से संबंधित है, जिसका अर्थ है वर्ष 2006 में अपीलकर्ता द्वारा संचालन शुरू करने के बीच की अवधि के लिए। और 31 मार्च, 2011, यानी, नए अधिनियम के लागू होने से एक दिन पहले, जिसे मध्य प्रदेश विलासीता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 कहा गया। इसके अलावा, अपीलों की सुनवाई के दौरान श्री दवे मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने केवल 1936 अधिनियम की धारा 3(1) के तहत जारी अधिसूचना की तारीख 5 मई, 2008 के बीच की अवधि के लिए विवादित कर की मांग और वसूली का बचाव करने का प्रस्ताव रखा है। 1 अप्रैल, 2011 को नया अधिनियम लागू हुआ। इसलिए, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह निर्णय अधिसूचना (5 मई, 2008) जारी होने के बीच की अवधि के लिए 1936 अधिनियम के तहत डीटीएच प्रसारण पर मनोरंजन कर लगाने के सवाल से संबंधित है। और नये अधिनियम का लागू होना (1 अप्रैल, 2011) । इस फैसले का नए अधिनियम के लागू होने के बाद उत्पन्न होने वाली कानूनी स्थिति से कोई संबंध नहीं है।

19. अब हम यह जांचने का प्रस्ताव करते हैं कि क्या 1936 के अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर, मध्य प्रदेश राज्य के लिए किस पर कर लगाना स्वीकार्य या संभव है ? प्रसारण को डायरेक्ट-टू-होम या संक्षेप में डीटीएच कहा जाता है। यहां यह स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि इस मामले में मुद्दा यह नहीं है कि सीधे घरेलू प्रसारण व्यापक अर्थों में “मनोरंजन” है या नहीं। संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 की प्रविष्टि 62 में वास्तव में डीटीएच को मनोरंजन के एक अन्य रूप के रूप में शामिल करने के लिए पर्याप्त विस्तृत हो सकता हूं लेकिन यह विचार के लिए उठने वाला मुद्दा नहीं है। विचाराधीन मुद्दा यह है कि क्या 1936 अधिनियम के प्रावधानों में डीटीएच को कर के लिए प्रभार्य “मनोरंजन” के रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक विस्तार और लचीलापन है और क्या 5 मई, 2008 की अधिसूचना ने किसी भी तरह से 1936 के तहत प्रभार्यता के दायरे को बढ़ाया है।

20. 1936 अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है-

“मध्य प्रदेश में मनोरंजन में प्रवेश के संबंध में शुल्क और ऐसे मनोरंजन में प्रदर्शित विज्ञापन के कुछ रूपों के संबंध में कर लगाने के लिए एक अधिनियम।”

21. 1936 अधिनियम की धारा 2 में परिभाषा खंड शामिल हैं और खंड (ए) “मनोरंजन में प्रवेश” अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है:

“2(ए) “मनोरंजन में प्रवेश “में किसी भी स्थान पर प्रवेश शामिल है जहां मनोरंजन आयोजित किया जाता है,”

22. 'केबल ऑपरेटर', 'केबल सेवा', 'केबल टेलीविजन नेटवर्क' और 'सब्सक्राइबर' को परिभाषित करने के लिए 1 मई, 1999 से अधिनियम में खंड (एएएए) जोड़ा गया था।

“2(एएएए) “केबल ऑपरेटर“, “केबल सेवा“, “केबल टेलीविज़न नेटवर्क “और“ सब्सक्राइबर“ का वही अर्थ होगा जो उन्हें केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 की संख्या 7) में दिया गया है।“

23. खंड (बी) “मनोरंजन“कोपरिभाषितकरताहै:

“2(बी) “मनोरंजन“में कोई भी प्रदर्शनी, प्रदर्शन, मनोरंजन, खेल या खेल शामिल है जिसमें व्यक्तियों को भुगतान के लिए प्रवेश दिया जाता है;“

24. खंड (सी) “मनोरंजन कर्तव्य “को परिभाषित करता है:

“2(सी) “मनोरंजनशुल्क का अर्थ धारा 3 के तहत लगाया गया शुल्क है;“

25. खण्ड (डी) “प्रवेश के लिए भुगतान “अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

'2(डी) "प्रवेश के लिए भुगतान "में शामिल हैं -

(i) मनोरंजन के स्थान पर सीटों या अन्य आवास के लिए किसी भी रूप में कोई भुगतान,

(ii) किसी कार्यक्रम या मनोरंजन के सारांश के लिए कोई भुगतान;

(iii) ऋण के लिए किया गया कोई भी भुगतान या किसी उपकरण या युक्ति का उपयोग जो किसी व्यक्ति को सामान्य या प्राप्त करने में सक्षम बनाता है मनोरंजन को बेहतर ढंग से देखना या सुनना या आनंद लेना, जो ऐसे उपकरण या युक्ति की सहायता के बिना ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता;

(iv) किसी मनोरंजन तक पहुंच प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा योगदान या सदस्यता या स्थापना और कनेक्शन शुल्क या किसी अन्य शुल्क के रूप में किया गया कोई भी भुगतान, चाहे वह किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए या निरंतर आधार पर हो;

(v) किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी भुगतान, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो किसी मनोरंजन से संबंधित कोई भी चीज़, जिसे किसी व्यक्ति को मनोरंजन में शामिल होने या उसमें शामिल होते रहना जारी रखने की

शर्त के रूप में किसी भी रूप में करना आवश्यक है, या तो भुगतान के अतिरिक्त, यदि कोई हो, मनोरंजन में प्रवेश के लिए या बिना किसी प्रवेश के लिए ऐसा भुगतान;

(vi) किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी भुगतान, जिसे मनोरंजन स्थल के एक हिस्से में प्रवेश दिया गया हो, बाद में उसके दूसरे हिस्से में प्रवेश दिया जाता है, जिसमें प्रवेश के लिए कर या अधिक कर से जुड़े भुगतान की आवश्यकता होती है;

स्पष्टीकरण । - किसी मनोरंजन के संबंध में जुटाई गई कोई भी सदस्यता या किसी भी रूप में एकत्र किया गया दान प्रवेश के लिए भुगतान माना जाएगा;

(स्पष्टीकरण -II.- जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी सेवा के हिस्से के रूप में मनोरंजन प्रदान किया जाता है, चाहे वह ऐसी सेवा का अभिन्न अंग हो या अन्यथा सेवा प्रदान करने के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त शुल्क में मनोरंजन प्रदान करने या मनोरंजन तक पहुंच के लिए शुल्क भी शामिल माना जाएगा)।”

26. खंड (एफ) “ मालिक “को परिभाषित करता है:

“2(एफ) किसी भी मनोरंजन के संबंध में
“मालिक”में उसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार या कुछ समय के
लिए प्रभारी शामिल है;“

27. “वीडियो कैसेट रिकॉर्डर “और “वीडियो कैसेट प्लेयर “को धारा 2 के
खंड (जी) और (एच) में परिभाषित किया गया है।

28. चार्जिंग प्रावधान 1936 अधिनियम की धारा 3 में निहित है, जो
वर्तमान के लिए प्रासंगिक है, यहां से निकाला गया है।

“मनोरंजन के मालिक द्वारा देय मनोरंजन शुल्क (1) वीडियो
द्वारा मनोरंजन के मालिक के अलावा मनोरंजन का प्रत्येक
मालिक कैसेट रिकॉर्डर (इसके बाद वी.सी.आर. के रूप में
संदर्भित) या एक वीडियो कैसेट प्लेयर (इसके बाद
वी.सी.पी. के रूप में संदर्भित) या एक केबल ऑपरेटर,
मनोरंजन में प्रवेश के लिए प्रत्येक भुगतान के संबंध में
राज्य सरकार को निर्धारित दर पर शुल्क का भुगतान
करेगा। राज्य सरकार उसके पचहत्तर प्रतिशत से अधिक
नहीं।

प्रदान किया ...

आगे प्रदान किया गया...

यह भी प्रदान किया गया....

स्पष्टीकरण...

(2) xxx

(3) जहां मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान किसी व्यक्ति को सदस्यता या योगदान के रूप में भुगतान की गई एकमुश्त राशि के माध्यम से किया जाता है, या सीज़न टिकट के लिए या मनोरंजन की श्रृंखला में प्रवेश के अधिकार के लिए या किसी मनोरंजन के दौरान एक निश्चित अवधि के लिए, या किसी विशेषाधिकार, अधिकार, सुविधा या चीज़ के लिए बिना किसी अतिरिक्त भुगतान या कम शुल्क के प्रवेश के अधिकार के साथ, मनोरंजन शुल्क का भुगतान ऐसी एकमुश्त राशि पर किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां राज्य सरकार की राय हो कि एकमुश्त राशि का भुगतान किसी मनोरंजन में प्रवेश के अलावा अन्य विशेषाधिकारों, अधिकारों या उद्देश्यों के लिए भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है, या किसी भी अवधि के दौरान मनोरंजन में प्रवेश को कवर करता है जिसके लिए शुल्क नहीं लिया गया है संचालन में, शुल्क ऐसी राशि पर लगाया जाएगा जो राज्य सरकार को मनोरंजन में प्रवेश के अधिकार

का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीत होती है जिसके संबंध में मनोरंजन शुल्क देय है।“

(4) xxx

(प) xxx

(पप) x xx

29. धारा 3-ए वी.सी.आर. के मालिक द्वारा देय मनोरंजन शुल्क से संबंधित है। या वी.सी.पी. और यह प्रावधान 1 मई, 1999 से अधिनियम में शामिल किया गया था।

30. धारा 3-बी को 1 अप्रैल, 2001 से 1936 अधिनियम में शामिल किया गया था। धारा 3-बी की उप-धारा (1) केबल ऑपरेटर द्वारा देय मनोरंजन शुल्क से संबंधित है और यह एक सी केबल ऑपरेटर बनाती है, जो पहुंच प्रदान करती है। ऐसी सेवा के ग्राहकों को केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन, जो होटल या आवास गृह के कमरों के मालिक या रहने वाले नहीं हैं, शहरी और छावनी क्षेत्रों में प्रति ग्राहक बीस रुपये प्रति माह की दर से शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। धारा 3-बी डी की उप-धारा (2) होटल या लॉजिंग हाउस के प्रत्येक मालिक को अपनी स्वयं की या किसी केबल ऑपरेटर के माध्यम से प्राप्त केबल सेवा के माध्यम से होटल या लॉजिंग हाउस के कमरों में मनोरंजन तक पहुंच प्रदान करने के

लिए उत्तरदायी बनाती है। प्रति माह शुल्क की समेकित राशि कमरों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है।

31. धारा 3-सी विज्ञापन कर लगाने से संबंधित है।

32. धारा 3 द्वारा बनाए गए आरोप को प्रभावी करने की मशीनरी 1936 अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रदान की गई है, जो वर्तमान के लिए प्रासंगिक है, नीचे उद्धृत किया गया है:

“4 लेवी की विधि - (1) इस अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को वी.सी.आर. द्वारा मनोरंजन के अलावा किसी भी मनोरंजन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, सिवाय एक प्रभावित, उभरे हुए, उत्कीर्ण या चिपकने वाले टिकट के साथ, (पहले इस्तेमाल नहीं किया गया) राज्य सरकार द्वारा जारी, धारा 3 के तहत देय शुल्क के बराबर नाममात्र मूल्य का

(1) निरसित

(2) राज्य सरकार, के आवेदन पर मनोरंजन के अलावा किसी अन्य मनोरंजन का मालिक वी.सी.आर. जिसके संबंध में मनोरंजन शुल्क धारा 3 के तहत देय है, ऐसे मालिक को यहां निर्दिष्ट तरीकों में से एक द्वारा भुगतान करने की अनुमति दें, जैसा वह उचित समझे, ऐसे तरीके से और ऐसी

शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, देय शुल्क की राशि, अर्थात्:-

(ए) मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान और राज्य सरकार द्वारा तय किए जाने वाले शुल्क के कारण मालिक द्वारा प्राप्त सकल राशि के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे प्रतिशत के समेकित भुगतान द्वारा;

(बी) मनोरंजन में प्रवेश के लिए और शुल्क के कारण भुगतान के रिटर्न के अनुसार;

(सी) किसी भी यांत्रिक युक्ति द्वारा दर्ज किए गए परिणामों के अनुसार जो स्वचालित रूप से भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या को पंजीकृत करता है;

(डी) x x x

(ई) x x x

(एफ) x x x

(3) x x x

(4) x x x”

33. धारा 4-बी बिना भुगतान या रियायती दरों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाती है और निम्नानुसार प्रावधान करती है:

“4-बी भुगतान के बिना या रियायती दरों पर प्रवेश पर प्रतिबंध - कोई भी मालिक किसी भी व्यक्ति को वी.सी.आर. द्वारा मनोरंजन के अलावा किसी अन्य मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान किए बिना या रियायती दरों पर प्रवेश नहीं देगा। दरें जब तक कि उसके संबंध में देय मनोरंजन शुल्क या उस श्रेणी के टिकट के पूरे मूल्य पर भुगतान नहीं किया गया है जिसमें ऐसे व्यक्ति को प्रवेश दिया गया है।

बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी रियायती दरों पर प्रवेश के संबंध में लागू नहीं होगा -

(i) ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के लिए; और

(ii) ऐसे मनोरंजन या मनोरंजन के वर्ग के लिए;

जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।“

34. धारा 4-सी जुर्माना लगाने की शक्ति देती है और धारा 5 दंड से संबंधित है। 5-ए अपराधों की संरचना से संबंधित है और धारा 5-बी मनोरंजन के लिए लाइसेंस के निलंबन या रद्दीकरण से संबंधित है। धारा 8

नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान करती है। धारा 9 प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति देती है और धारा 9-ए खातों और दस्तावेजों के उत्पादन और निरीक्षण को अनिवार्य बनाती है धारा 10 मनोरंजन शुल्क के बकाया की वसूली से संबंधित है। धारा 10 सद्भावना से कार्य करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है और किसी भी मुकदमे या अभियोजन पर रोक लगाती है सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध या अन्य कार्यवाही। धारा 11 शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है और धारा 12 किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मनोरंजन शुल्क लगाने पर रोक लगाती है।

35. समग्र रूप से 1936 अधिनियम की सावधानीपूर्वक जांच पर, और विशेष रूप से खंडों के संयुक्त पढ़ने पर (ए) (एक मनोरंजन के लिए प्रवेश“, (बी) (मनोरंजन“) और (डी) (प्रवेशका भुगतान “) चार्ज बनाने वाली धारा 3 और संग्रहण मशीनरी प्रदान करने वाली धारा 4 के साथ, हम खुद को अपीलकर्ताओं की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण से सहमत पाते हैं कि 1936 अधिनियम के प्रावधान केवल स्थान-संबंधित मनोरंजन पर लागू होते हैं। दूसरे शब्दों में 1936 के अधिनियम के प्रावधान एक मनोरंजन को कवर करते हैं जो एक निर्दिष्ट भौतिक स्थान पर होता है जहां व्यक्ति होते हैं 1936 अधिनियम की धारा 2 के खंड (डी) के तहत परिभाषित कुछ शुल्क के भुगतान पर स्वीकार किया गया। विधायी इतिहास और 1936 अधिनियम में पेश किए गए संशोधनों से यह भी पता चलता है कि 1936

अधिनियम की योजना को राज्य द्वारा किस प्रकार देखा गया था। पहले यह पाया गया था कि 1936 अधिनियम के प्रावधान वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या वीडियो कैसेट और प्लेयर केबल टीवी संचालन को कर के दायरे में लाने के लिए अपर्याप्त थे और इसलिए, विधायिका ने 1936 अधिनियम में संशोधन करना और धारा सम्मिलित करना आवश्यक समझा। 3-ए और धारा 3-बी क्रमशः 1 मई 1999 और 1 अप्रैल 2001 से प्रभावी। इस संबंध में, यह ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या वीडियो कैसेट और प्लेयर द्वारा शो के मामले में, दोनों केबल टीवी संचालन, संग्रह मशीनरी इन-बिल्ट सी है और धारा 3-ए और धारा 3-बी के संबंधित प्रावधानों के भीतर प्रदान की जाती है। और उन दो मामलों में शुल्क का संग्रहण 1936 अधिनियम की धारा 4 के तहत नहीं होता है।

36. राज्य की ओर से डीटीएच पर लेवी लगाने को धारा 2 के खंड (डी) के उप-खंड (4) के आधार पर उचित ठहराने की मांग की गई थी, जो इस प्रकार है।

“(iv) किसी मनोरंजन तक पहुंच प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा योगदान या सदस्यता या इंस्टॉलेशन और कनेक्शन शुल्क या किसी अन्य शुल्क के रूप में किया गया कोई भी भुगतान, चाहे वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या निरंतर आधार पर हो।”

37. हमारे विचार में, प्रस्तुतीकरण एक से अधिक कारणों से अस्थिर है। सबसे पहले, धारा 2(डी)(iv) केवल कर का माप है और यह धारा 3 द्वारा बनाए गए शुल्क का निर्माण नहीं करता है। कर के माप पर जाने का सवाल केवल तभी उठेगा जब यह पाया जाएगा कि शुल्क का कर आकर्षित होता है। धारा 2(डी) और धारा 2(ए) के साथ सहपठित धारा 3 के तहत, कर का शुल्क या लेवी केवल तभी आकर्षित होती है जब कोई मनोरंजन किसी निर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर होता है और व्यक्तियों को शुल्क के भुगतान पर उस स्थान पर प्रवेश दिया जाता है। मनोरंजन प्रदान करने वाला मालिक। वर्तमान मामले में, चूंकि डीटीएच संचालन स्थान-संबंधित मनोरंजन नहीं है, इसलिए यह 1936 अधिनियम की धारा 2(ए) और 2(बी) के साथ पढ़ी जाने वाली चार्जिंग धारा 3 के अंतर्गत नहीं आता है। नतीजतन, धारा 2(डी)(iv) पर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके अलावा, भले ही धारा 2(डी)(पअ) को धारा 3 के विस्तार के रूप में पढ़ा जाए और, इस प्रकार, आरोप के एक भाग के रूप में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि धारा 2(डी)(iv) "मनोरंजन" को संदर्भित करता है जो हमें धारा 2(बी) और अंत में धारा 2(ए) पर वापस ले जाता है।

38. हमने माना है कि डीटीएच प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है धारा 3 का 1936 की धारा 2(ए), 2(बी) और 2(डी) के साथ पठित कार्यवाही करना। 1936 अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रदान किए गए शुल्क के संग्रह की व्यवस्था का सन्दर्भ देने पर मामला और सुलझ जाता

है। धारा 4(1)में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धारा 3 के तहत देय शुल्क के बराबर नाममात्र मूल्य के राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रभावित, उभरा हुआ, उत्कीर्ण या चिपकने वाला टिकट वाले टिकट को छोड़कर वी.सी.आर. द्वारा मनोरंजन में किसी भी व्यक्ति को किसी भी मनोरंजन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा; धारा 4 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि मनोरंजन पर देय शुल्क की राशि के भुगतान के लिए अलग-अलग तरीके निर्दिष्ट किए गए हैं। न तो धारा 4(1) का प्रावधान और न ही धारा 4(2) के तहत प्रदान किया गया कोई भी तरीका डीटीएच संचालन पर शुल्क के संग्रह के लिए लागू किया जा सकता है। इसके अलावा, यह ऊपर उल्लेख किया गया है कि धारा 8 नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। उस प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर नियम 1942 बनाये गये। नियमों का अवलोकन करने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 1936 अधिनियम के तहत संग्रह तंत्र के मालिक द्वारा निर्दिष्ट स्थान जहां मनोरंजन आयोजित किया जाता है, पर प्रवेश के लिए जारी किए गए टिकटों से जुड़े राजस्व टिकटों पर आधारित है।

39. 1936 अधिनियम के तहत प्रदान की गई शुल्क वसूली की मशीनरी का डीटीएच पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि अधिनियम के तहत प्रदान की गई संग्रह मशीनरी ऐसी है कि इसे किसी घटना पर लागू नहीं किया जा सकता है, तो इसका

मतलब यह है कि घटना कर क़ानून द्वारा बनाए गए शुल्क से परे है। देखें: आयकर आयुक्त बनाम बी.सी. श्रीनिवास शेट्टी, (1981) 2 एससीसी 460, आयकर आयुक्त एर्नाकुलम, केरल बनाम आधिकारिक परिसमापक, पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड.. (1985) 1 एससीसी 45 (पेज एच 50-51), पीएनबी फाइनेंस लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ आयकर नई दिल्ली (2008) 13 एससीसी 94 (पैराग्राफ 21 और 24 पृष्ठ 100 से 101)।

40. ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, हमारा स्पष्ट विचार है कि अपीलकर्ताओं द्वारा किए जा रहे डीटीएच संचालन को कवर करने के लिए 1936 अधिनियम का विस्तार नहीं किया जा सकता है।

41. अब 5 मई, 2008 की अधिसूचना पर आते हुए, यह प्राथमिक है कि अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकती है। इसके अलावा, अधिसूचना में सिनेमा, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर और केबल सेवा के अलावा किसी अन्य मनोरंजन में प्रवेश के लिए प्रत्येक भुगतान के संबंध में मनोरंजन शुल्क की दर केवल 20 प्रतिशत निर्धारित की गई है। अधिसूचना 1942 के नियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 4 के तहत न तो चार्जिंग अनुभाग का विस्तार कर सकती है और न ही संग्रह के प्रावधान में संशोधन कर सकती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिसूचना किसी भी तरह से राज्य के मामले में सुधार नहीं करती है। यदि 5 मई, 2008 की अधिसूचना जारी होने से पहले 1936 अधिनियम के तहत डीटीएच संचालन

पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता था, जैसा कि श्री दवे ने स्पष्ट रूप से कहा था, हम यह देखने में विफल हैं कि अधिसूचना जारी होने के बाद 1936 अधिनियम के तहत कैसे शुल्क लगाया जा सकता है।

42. हमने माना है कि 1936 अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या पर डीटीएच संचालन को कवर नहीं करता है। इसलिए, हमें उत्तर प्रदेश मनोरंजन और सट्टेबाजी कर अधिनियम, 1979 और बिहार मनोरंजन कर अधिनियम के तहत डीटीएच संचालन पर शुल्क की मांग से संबंधित अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए मामलों को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

43. इसके अलावा, जैसा कि हमने माना है कि 1936 का अधिनियम डीटीएच संचालन को कवर नहीं करता है, हमें अन्य बातों के साथ-साथ डीटीएच संचालन पर कर लगाने के लिए कानून विधायिका की विधायी क्षमता के संबंध में अपीलकर्ताओं की ओर से किए गए अन्य प्रस्तुतियों पर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह वित्त अधिनियम, 1994 के तहत सेवा कर के लिए प्रभार्य एक अधिसूचित सेवा थी।

44. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

आर.पी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री केशव कौशिक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
